रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/ फाल्गुन 15, 1940
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/ PHALGUNA 15, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2019

सं.टी ए एम पी/30 /2014-पी पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा, परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) पर निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की हार्बर चल क्रेनों (एचएमसी) के प्रशुल्क की वैधता का विस्तार, संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/30/2014-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास - - - **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टीएस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फ़रवरी 2019 के 25वें दिन पारित)

मामला निजी प्रचालकों द्वारा पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) पर 100 टन क्षमता की हार्बर चल क्रेन (एचएमसी) के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. पीपीपी द्वारा दायर एक प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने 28 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/30/2014-पीपीटी के द्वारा बिना किसी विशिष्ट सेवा प्रदाता के हवाले से, कॉमन प्रयोजन के लिए, पीपीटी पर एचएमसी के उपयोग का अधिकतम प्रशुल्क निर्धारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 05 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया था और यह आदेश अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् प्रभावी होना था यानी 4 फरवरी, 2015 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है, यानी 3 फरवरी, 2018 तक।

3. तत्पश्चात्, पीपीटी द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर और दरमानों में शून्यता से बचने के लिए, इस प्राधिकरण ने परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) में निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की चल हार्बर क्रेनों (एमएमसी) के प्रशुल्क की वैधता की अवधि का दो अवसरों पर विस्तार किया अर्थात् 19 मार्च 2018 और 3 अगस्त 2018. 19 मार्च 2018 के आदेश द्वारा इसका विस्तार 3 अगस्त, 2018 तक और 3 अक्तूबर, 2018 के आदेश द्वारा इसका विस्तार 03 फरवरी, 2019 तक किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 3 अक्तूबर, 2018 के आदेश में 100 टन एचएमसी के प्रशुल्क की वैधता का विस्तार करते समय, पीपीटी को यह सलाह दी गई थी कि वह 30 नवंबर, 2018 तक अपना प्रस्ताव दायर कर दें।

4. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने 100 टन एचएमसी के प्रशुल्क संशोधन का प्रस्ताव अपने 13 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा दायर कर दिया। प्रस्ताव में संबंधित हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। संदर्भाधीन मामले में 23 जनवरी, 2019 को संयुक्त सुनवाई भी हो चुकी है। संयुक्त सुनवाई में हुई चर्चा के आधार पर, पीपीटी ने 100 टन एचएमसी के प्रशुल्क निर्धारण के अपने संशोधित प्रस्ताव की समीक्षा करना स्वीकार किया है।

5. इस पृष्ठभूमि में, पिछली बार, पीपीटी ने 05/06 फरवरी 2019 के पत्र में 100 टन क्षमता की एचएमसी के प्रशुल्क का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और वह प्रस्ताव शीघ्र दायर कर देगा इसलिये 100 टन क्षमता की एचएमसी कि वैधता **6** महीने के लिये यानी 03 अगस्त, 2018, तक अथवा नियत किये जाने वाले नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का अनुरोध किया है।

6.1. चूंकि 100 टन क्षमता के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता पहले ही 3 फरवरी, 2019 को समाप्त हो गई है। पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के संसाधन की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय और शून्यता से बचने को देखते हुए, वर्तमान दरमानों की वैधता को 3 फरवरी, 2019 से आगे बढ़ाना उपयुक्त महसूस किया जाता है।

6.2. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का 3 अगस्त, 2019 तक या 100 टन क्षमता की एचएमसी के लिए पीपीटी द्वारा दायर किये जाने प्रस्ताव के आधार पर नियत नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक जो भी पहले हो, करता है। पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करे दे। पीपीटी यह भी नोट करे कि 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता को 3 अगस्त, 2019 से आगे बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा/564/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the26 February 2019

No.TAMP/30/2014-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for 100 Tonne capacity Harbour Mobile Crane (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust (PPT), as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/30/2014-PPT

Paradip Port Trust --- Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 25th day of February 2019)

This case deals with the extension of the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity Harbour Mobile Crane (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust (PPT).

2. Based on a proposal filed by the PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/30/2014-PPT dated 28 November 2014 has fixed ceiling tariff for the use of HMC at the PPT, for common application, without reference to any particular service provider. This Order was notified in the Gazette of India on 5 January 2015 and had come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order i.e. 4 February 2015 and is valid for a period of three years i.e. upto 3 February 2018.

3. Thereafter, based on the request made by PPT and to avoid a vacuum in the scale of rates, this Authority has extended the validity of the tariff for 100 Ton capacity Harbour Mobile Cranes (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust (HMC) on two occasions i.e. vide Order dated 19 March 2018 and dated 3 October 2018. Vide Order dated 19 March 2018 it was extended upto 3 August 2018 and vide Order dated 3 October 2018 it was extended upto 3 February 2019. In the Order dated 3 October 2018 approved by this Authority extending the validly of tariff for 100 T HMC, the PPT was advised to file its proposal latest by 30 November 2018.

4. In this backdrop, the PPT has filed its proposal for revision of tariff for 100 Ton capacity HMC vide its letter dated 13 November 2018. The proposal has been taken on consultation with relevant Stakeholders. A joint hearing was held on 23 January 2019 on the case in reference. Based on the discussion that took place at the joint hearing the PPT has agreed to review and submit its revised proposal for fixation of tariff for 100 Tonne HMC.

5. In this backdrop, the PPT vide its dated 05/06 February 2019 has requested this Authority to extend the validity of the existing tariff of 100 tonne capacity HMC for another period of 6 months i.e. upto 03 August 2019 or till the finalization of the new tariff, whichever is earlier on the grounds that preparation of revised proposal for revision of tariff of 100 tonne capacity HMC is under process.

6.1. Since the validity of the existing tariff for 100 HMC has already expired on 3 February 2019 and considering the time required for processing the revised proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the tariff, this Authority is inclined to extend the validity of the existing tariff for 100 HMC beyond 3 February 2019.

6.2. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity HMC installed by private operators at PPT upto 03 August 2019 or till the effective date of implementation of new tariff to be fixed for 100 tonne capacity HMC based on the revised proposal to be filed by PPT, whichever is earlier. The PPT is advised to file its revised proposal early. The PPT may also note that any further request for extension of validity of the existing tariff for 100 Ton capacity HMC beyond 03 August 2019 would not be entertained.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.III/4/Exty./564/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.08 19:16:32 +05'30'